पत्रांक–7/पेंशन–01–02/2016 सा0प्र0......................./

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना–15, दिनांक..........................

विषयः– बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन, उपादान एवं पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–28074 दिनांक 21.04.2016 एवं पत्रांक–28208 दिनांक 21.04.2016 द्वारा श्री विश्वेश्वर नाथ मिश्र, सेवानिवृत्त अध्यक्ष (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), बिहार राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना एवं श्री वेद प्रकाश, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया के पेंशन, उपादान एवं पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परन्तु पेंशन/परिवार पेंशन/उपादान की गणना–तालिका में डी0डी0ओ0/कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर अप्राप्त है। इस अनुशंसा में कोई विभागीय कार्रवाई, आपराधिक आरोप एवं दण्ड के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं रहता है।

2. कुछ प्रस्ताव के साथ भूमि क्रय/गृह निर्माण अग्रिम, मोटर कार/मोटर कार मरम्मती/मोटर साइकिल अग्रिम, कम्प्यूटर/विवाह/विविध अग्रिम, लाइब्रेरी आदि की वापसी अभिलेख, भवन निर्माण विभाग से संबंधित आवासीय किराया बकाया रहित प्रमाण पत्र एवं अन्य, लैपटाप, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्र भी नहीं रहता है। फलस्वरूप पेंशन स्वीकृति में कठिनाई होती है।

अतः प्राप्त दोनों पेंशन प्रपत्र मूल रूप में लौटाते हुए अनुरोध है कि पेंशन/परिवार पेंशन/उपादान की गणना–तालिका में डी0डी0ओ0/कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर के साथ वांछित त्रुटियों का निराकरण करते हुए शीघ्र प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाये ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/पेंशन–01–02/2016 सा0प्र0 6251 /पटना–15, दिनांक 4-5-16

प्रतिलिपिः–सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/5/16

सरकार के उप सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/PENSION